

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)
पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

वामा 2200 सुन्दर वनाम रूपराम आदि

दावा बाबत :- 88 RTA Act

मुकदमा नम्बर :- 234/2020

निर्णय दिनांक :- 27-10-2021

वादी की ओर से वकील विनोद कुमार की व प्रतिवादी सं0 114/115 की ओर से वकील मुन्ना राम गोस्वामी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 27-10-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही भोजा मोहसरा के खाता सं0 114/115 के खसरा सं0 59 की पट्टा 0000, खसरा सं0 55/3 की 0000 एवं कुल 7730 हेक्टर कारानी खेतदारी प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिजार्ड में दर्ज है व रोही भोजा के खाता सं0 523/368 के खसरा सं0 133 की 5362 हेक्टर कारानी खेतदारी के प्रतिवादी सं0 1 के नाम महेन्द्रा राजस्व रिजार्ड में दर्ज है उक्त वक्रीत कृषि के खाता सं0 114/115 के खसरा सं0 55/3 की 0000 हेक्टर कारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 रूपराम के नाम अधानत रखी जावे व रोही भोजा के खाता सं0 114/115 के खसरा सं0 59 की पट्टा 0000 व रोही भोजा के खाता सं0 523/368 के खसरा सं0 133 की 5362 हेक्टर कारानी कृषि भूमि के प्रतिवादी सं0 रूपराम का नाम नुसखानुन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के महेन्द्रा करार के खेतदार कृषकतामर घोषित किया जाते है यदि प्रतिवादी सं0 1, पक्ष ने अपना समूची टुक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पत्र में लयाग कर लिए है इसलिए लयाग विधे गये हिस्से पर पंजीपन विभागा को देय पंजीपन मुल्य अर्पण करने व केक के रदन हो तो रदन मुल्य खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे। एने के उपरान्त ही राजस्व रिजार्ड में अन्तल रूपराम किया जावे। यह पचा डिक्री आज दिनांक 27-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला बरभत
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
प्र.गा. के संग अ.-2021
कैम्प
मोहरा